26.9.25. पड़ावली पेशा वकील रेस्पो- द्वारा हस्तगत प्रकरण के मूल वाद जारिज होने बाबत् प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई वकील रेस्पो: द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद को पुन: दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने बाबत कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद जारिज होने के हस्तगत अपील निष्प्रयोजन / निष्फल होना है ~~निष्फल~~ हस्तगत प्रकरण निष्फल होने के इसी स्तर पर जारिज योग्य है जिससे हस्तगत अपील को इसी स्तर पर जारिज किया जाता है। पड़ावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।

26/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर